Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

मीड़िया रीलिज

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में झारखण्ड और दिल्ली एक दूसरे की होड़ में

परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा में गृह मंत्रालय ने आंकड़े दिये

मई 2, 2012 : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक देश में वर्ष 2008, 2009 और 2010 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के क्रमशः 1,95,856; 2,03,804 और 2,13,585 मामले सूचित किए गए। इससे जाहिर होता है कि देश में महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने आज राज्य सभा में सांसद श्री परिमल नथवाणी के एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

श्री नथवाणी ने देश के चार महानगरों और झारखण्ड राज्य में महिलाओं के प्रति होते अपराधों के बारे में जानना चाहा था। मंत्री महोदय द्वारा सदन के पटल पर रखे गए विस्तृत ब्यौरे के मुताबिक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या की द्रष्टि से झारखण्ड और दिल्ली शहर के बीच जैसे होड़ लगी दिखाई दे रही है। वर्ष 2008 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या झारखण्ड में 3,183 थी तो दिल्ली शहर में 3,515; वर्ष 2009 में झारखण्ड में महिलाओं के विरुद्ध 3,021 अपराध दर्ज हुए तो दिल्ली में 3,701। वर्ष 2010 में झारखण्ड में महिलाओं के प्रति 3,087 अपराधों के सामने दिल्ली में 3,886 अपराध हुए। चार महानगरों चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में से चेन्नई शहर में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या सबसे कम है।

Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

बलात्कार, अपहरण, दहेज–मृत्यु, छेड़छाड़, यौनशोषण, पति व रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, लड़कियों का आयात, मानव दुर्व्यापार, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन जैसे विभिन्न अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। सदन में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एक बात जो उभर कर सामने आई वह यह है कि सती निवारण अधिनियम के तहत एक भी मामला चार महानगरों और झारखण्ड में इन वर्षों के दौरान दर्ज नहीं हुआ।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि झारखण्ड सरकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। झारखण्ड के 24 जिलों में से 22 में महिला पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सभी पुलिस स्टेशनों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयां बनाई गई हैं। झारखण्ड से आई अपराध पीडित बालिकाओं और महिलाओं के ठहरने के लिए अस्थायी स्थान उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली में शॉर्ट स्टे होम स्थापित किए गए हैं। दिल्ली और रांची में अपराध पीडित महिलाओं की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नम्बर 18003456531 और 18003456526 भी शुरु किए गए हैं; ऐसा भी मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया।

आपने यह भी कहा कि भारत के संविधान की सातवीं सूची में अंतर्गत 'पुलिस' व 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथापि केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति अपराध निवारण और नियंत्रण के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है।

★ ★ ★